

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/ अन्वे./पांच/2015/ 11869-11999 इन्दौर, दिनांक 31-3-2023

अधिसूचना

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क. एफ 4 (सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68, 70, 71 एवं 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक प्रभावशील की गई है। गत छः माही का औसत 379 रहा है अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (379-366)= 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची -अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तशील मंहगाई भत्ते सम्मिलित है।
(आकड़े रूपों में) (26 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
अर्ध कुशल	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
कुशल	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507

अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है
(आकड़े रूपों में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
पैकर्स, पट्टी पैकर सीपर	6705.00	257.88	3450	132.69	10155	390.58	391
मुनीम, लेखाकार क्लर्क आदि	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
सालर्स, मिस्त्री, पाईन्टर्स	9522.00	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
कटर्स	10155.00	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523

अनुसूची -स
किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है

(आकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकिय वर्ग							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
उच्च कुशल	9735.00	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
कुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	9685.00	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505
श्रेणी दो	9378.00	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493
श्रेणी तीन	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
अर्धकुशल श्रमिक							
श्रेणी एक	8435.00	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
श्रेणी दो	7057.00	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
अकुशल श्रमिक	6500.00	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371

अनुसूची 'क'

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आकड़े रूपये में)
(30 दिन के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500.00	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322
अर्धकुशल	7057.00	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350
कुशल	8435.00	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396
उच्च कुशल	9735.00	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440

अनुसूची "द" (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसम्बर, 2022 छ: माही का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1152 है इससे पूर्व की छ: माही का औसत 1107 था जिसके कारण 45 दिन्दुओं की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा:-

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन रूपये		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये		कुल वेतन रूपये		राउन्डअप में देय दैनिक वेतन दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350.00	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची (ई)

बीडी नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें रूपये	परिवर्तशील महगाई भत्ता रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट:- एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महगाई भत्ता 105 रूपये 96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रूपये 66 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 22 रूपये 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर गत छः माही में 366 उपभोक्ता सूचकांक होने पर कुल 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची (एफ)

अगरबत्ती नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महगाई भत्ता	कुल वेतन
अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण अगरबत्ती	रु. 21.40	रु. 34.50	रु. 55.90
सुगंधित अगरबत्ती	रु. 22.00	रु. 34.50	रु. 56.50

स्पष्टीकरण-1. म.प्र. न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.06.06 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांक को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाय। तदनु रूप प्रतिदिन रूपये में राउण्ड-अप कर दैनिक दरें निर्धारित की गई हैं।

3. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/1006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा।

4. स्पष्टीकरण:- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र. राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की पुनरीक्षित न्यूनतम दरें, 1 जून, 2015 से प्रभावशील की गई हैं।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

अनुसूची -अ


67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूप्यों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर		श्रमिकों का वर्ग		न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तन पील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक								दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
6500.00	250.00	2825.00	108.65	9325.00	358.65	359.00	अकुशल	6500.00	250.00	3150.00	121.15	9650.00	371.15	371			
7057.00	271.42	3125.00	120.19	10182.00	391.62	392.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	3450.00	132.69	10507.00	404.12	404			
8435.00	324.42	3125.00	120.19	11560.00	444.62	445.00	कुशल	8435.00	324.42	3450.00	132.69	11885.00	457.12	457			
9735.00	374.42	3125.00	120.19	12860.00	494.62	495.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	3450.00	132.69	13185.00	507.12	507			

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में जैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।


 (डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर